



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277002
CG-DL-E-09102026-277002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5339]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5339]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5551(अ).— केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 14ख की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय रेशम बोर्ड (न्यायिक निर्णय, जांच करने की पद्धति और शास्ति अधिरोपण) नियम, 2026 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ग) तथा धारा 14क के अधीन जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने उल्लिखित अधिकार क्षेत्रों के संबंध में न्यायिक अधिकारी नियुक्त करती है, नामतः:-

क्रम संख्या	न्यायिक अधिकारी	क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	निदेशक, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पम्पोर	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड।

2	निदेशक, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर।	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल।
3	निदेशक, मूगा एरी रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी।	अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा।
4	निदेशक, बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर।	छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा।
5	निदेशक, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, बेंगलुरु।	आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना।

(2) न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें, यदि कोई हों, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 14ख की उप-धारा (2) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा केंद्रीय रेशम बोर्ड (न्यायिक निर्णय, जांच करने की पद्धति एवं शास्ति अधिरोपण) नियम, 2026 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा न्यायिक अधिकारी केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 और उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं कार्यों का निर्वहन करेंगे।

(4) यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 25017/02/2026-रेशम]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5551(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14B of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) read with rule 4 of the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026, the Central Government hereby appoints the following officers as the **adjudicating officers** for the purposes of holding inquiries and imposing penalties under clauses (a) and (c) of sub-section (1) of section 14 and section 14A of the Act, in respect of the jurisdictions indicated against each of them, namely: -

Serial number	Adjudicating officer	Territorial jurisdictions
(1)	(2)	(3)
1	Director, Central Sericultural Research and Training Institute, Pampore.	Union Territory of Chandigarh, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Union Territory of Jammu and Kashmir, Union Territory of Ladakh, New Delhi, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand.

2	Director, Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore	Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Uttar Pradesh, Sikkim, West Bengal.
3	Director, Muga Eri Silkworm Seed Organisation, Guwahati.	Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura.
4	Director, Basic Tasar Silkworm Seed Organisation, Bilaspur.	Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha.
5	Director, National Silkworm Seed Organisation, Bengaluru.	Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala, Union Territory of Lakshadweep, Maharashtra, Union Territory of Puducherry, Tamil Nadu, Telangana.

(2) The appeals, if any, against the orders passed by the adjudicating officers shall lie before the appellate authority appointed by the Central Government under sub-section (2) of section 14B of the Central Silk Board Act, 1948.

(3) All complaints received by the adjudicating officers shall be dealt with in accordance with the procedure specified in the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026, and the adjudicating officers shall exercise the powers and discharge the functions conferred upon them under the Central Silk Board Act, 1948 and the said rules.

(4) This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 25017/02/2026-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.